केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ओ0ए0 संख्या–200/2014 में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे लोक भवन स्थित उनके सभाकक्ष में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ओ0ए0 संख्या–200/2014 में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के संबंध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को मध्यान्ह 12:00 बजे लोक भवन स्थित उनके सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2– बैठक में सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–200/2014 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 7/22.08.2019 द्वारा अनटैप्ड नालों से गंगा नदी में अशोधित उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने के कारण रूपये 10.00 लाख प्रतिमाह/ड्रेन की दर से दिनांक 01.07.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा निर्धारित समयावधि में निर्माणाधीन एस0टी0पी0 प्रोजेक्टस के कार्य पूर्ण न होने के कारण रूपये 10.00 लाख प्रतिमाह/एस0टी0पी0 की दर से दिनांक 01.07.2020 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने तथा अनटैप्ड ड्रेन्स में उपचार हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण रूपये 5.00 लाख प्रतिमाह/ड्रेन की दर से दिनांक 01.11.2019 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 03.02.2021 द्वारा राज्य सरकार पर 170 अनटैप्ड ड्रेन्स हेतु रूपये 102.00 करोड़, 120 अनटैप्ड ड्रेन्स जिनमें उत्प्रवाह शोधन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी, हेतु रूपये 48.00 करोड़ तथा निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण नहीं किये गये 44 अपूर्ण एस0टी0पी0 प्रोजेक्टस हेतु 26.40 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।

3– सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के पत्र दिनांक 03.02.2020 द्वारा अनटैप्ड ड्रेन्स के उत्प्रवाह शोधन हेतु सम्बंधित नगर निकायों को बायो रेमेडियेशन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ड्रेन्स की टैपिंग से संबंधित कार्यवाही नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है तथा इस कार्य हेतु राज्य स्तर पर मिशन भी गठित है।

4– सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 03.02.2021 द्वारा 15 दिन का समय देते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। उक्त अवधि में सम्बंधित विभागों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया। साथ ही अवगत कराया गया कि जिन प्रोजेक्टस में निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं हुए है, हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये है। उक्त के अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा यह भी

अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार यदि समस्त ड्रेन की टैपिंग का कार्य माह दिसम्बर, 2021 के अंत तक आरम्भ नहीं कराया जाता है तो माह जनवरी से अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित होगी। अतः जिन ड्रेन्स में टैपिंग हेतु कार्य बिडिंग/स्वीकृति की चरण में है उनमें माह दिसम्बर, 2021 के पूर्व त्वरित कार्यवाही कर कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु प्रयास किया जाना उचित होगा।

5— बैठक में प्रमुख सचिव, नमामि गंगे विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगणित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि में कतिपय त्रुटियाँ हैं, जिन्हें ठीक कराया जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में अधिकांश ड्रेन्स के टैपिंग हेतु कार्य स्वीकृत/प्रारम्भ हो गये हैं तथा 47 ड्रेन्स के कार्य स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, जिसके संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली से पुनः अनुरोध किया जाना होगा। एस0टी0पी0 व सीवेज नेटवर्क से संबंधित कार्य कोविड–19 के कारण विलम्बित हुए हैं, जिसके दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित नहीं है।

अन्त में बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्न कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया :–

1— एन.जी.टी. द्वारा जिन मामलों में क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है, उनका विधिक व तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर तत्काल रिव्यू अथवा अपील दाखिल किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही–नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

2— जिन प्रकरणों में प्रस्ताव एन.एम.सी.जी. को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं, किन्तु अभी भी लम्बित हैं उस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी. तथा भारत सरकार से पैरवी कर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इसे एन.जी.टी. के भी संज्ञान में लाया जाए।

(कार्यवाही–नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

3— वित्त विभाग को भी इन प्रकरणों से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए इस सम्बन्ध में अधिकतम धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु अनुरोध कर लिया जाय।

(कार्यवाही–नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

4— समस्त स्वीकृतियां प्राथमिकता पर प्राप्त करते हुए कार्यों को समय से पूर्ण कराये जाएं, ताकि भविष्य में क्षतिपूर्ति आरोपित होने की स्थिति न बने।

(कार्यवाही–नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/नगर विकास विभाग/उ0प्र0 जल निगम)

5— फाईटोरेमिडिएशन से सम्बन्धित कार्य हेतु वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा योजनाएं तैयार कराकर वित्त पोषण हेतु नगर विकास विभाग को प्रेषित की जाय तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करायी जाय।

(कार्यवाही–वन एवं वन्यजीव तथा नगर विकास विभाग)

उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 से 4 तक की समस्त कार्यवाही, वाद की सुनवाई की अग्रिम तिथि 24.08.2021 के पूर्व पूर्ण करते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ईमेल– soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईमेल–ms@uppcb.in पर प्रेषित की जाय।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–NGT-305/81–7–2021–43(पर्या)/2014 टी.सी.–2
लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।